

**IMMEDIATE**



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

क्र० एफ.4(54)पट्टाअभि/विधि/पंरा/2017/914

जयपुर, दिनांक:04.7.2017

1. जिला कलेक्टर, समस्त ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद, समस्त ।

विषय:- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान  
बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान के तहत आयोजित होने वाले तयशुदा शिविरों में से दिनांक 15(गुरुवार), 19(सोमवार) एवं 22 जून(गुरुवार), 2017 को निर्धारित शिविर ग्रामसेवक संघ एवं आडीएस संघ आदि के कलमबन्द आव्हान के कारण बाधित रहे थे ।

अतः उक्तानुसार पूर्व में निर्धारित तीनों दिवसों के शिविर अब दिनांक 13 जुलाई, (गुरुवार), 17 जुलाई(सोमवार) एवं 20 जुलाई(गुरुवार) को आयोजित किये जाने सुनिश्चित किये जायें ।

( नवीन महाजन )

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान ।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ।
3. विशिष्ट सहायक, राज्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान ।
5. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ।
6. संयुक्त निदेशक(मो०), पंचायती राज विभाग ।
7. एसीपी(उप निदेशक), पंचायती राज विभाग ।

5/7/2017

उप शासन सचिव(विधि)